

जिला एवं सत्र न्यायालय, बांदा।

दिनांक 19.10.2020

नीलामी की सूचना

जनपद न्यायालय बांदा की निस्तारण समिति द्वारा शासनादेश सं० 1393/78-2-2011-26 आई०टी०/ 2004 दिनांक 20.09.2011 के अनुसार 6 वर्ष से अधिक पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर व उनके सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने व उनकी नीलामी हेतु की गयी संस्तुति के अनुक्रम मे संलग्न सूची में वर्णित (एच०सी०एल० सी०पी०यू० मानीटर सहित-26 अदद, थिन क्लाइन्स मानीटर सहित-46 अदद, एच०पी०लेजर प्रिन्टर 1008-25 अदद, टी०वी०एस० डाट मैट्रिक्स प्रिन्टर-16 अदद, कार्टिज 88 ए-179 अदद, विन बी थिन क्लाइन्स बिना मानीटर-8 अदद, सी०पी०यू० बिना मानीटर-03 अदद) उपकरणों की नीलामी हेतु समिति द्वारा न्यूनतम मूल्य 128580/- (मु० एक लाख अट्ठाइस हजार पांच सौ अस्सी रुपये मात्र) निर्धारित किया गया है।

जिसके अनुक्रम में उक्त मूल्य की अथवा इससे अधिक मूल्य की खुली निविदाएं एवं बोली आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदा दाता मु० 12,800/- (मु० बारह हजार आठ सौ रुपये मात्र) रुपये की प्रतिभू के साथ अपनी खुली निविदा कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, बांदा में **दिनांक 07.11.2020 को समय अपरान्ह 12.00** तक जमा करा सकते हैं तथा उसी दिन समय 1.30 बजे समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहकर खुली निविदाएं एवं बोली में प्रतिभाग कर सकते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उच्चतम निविदाकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि उसकी बोली स्वीकार होने पर उसी दिन जमा करनी होगी एवं शेष 75 प्रतिशत धनराशि 15 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी। यदि नियत राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो पूर्व में जमा करवाई गयी सम्पूर्ण राशि राज्य के पक्ष में समाहित कर ली जायेगी तथा निविदाकर्ता/बोली कर्ता के समस्त अधिकार समाप्त समझे जायेंगे।

कम्प्यूटर उपकरणों व उसके सहवर्ती उपकरणों का अवलोकन दिनांक **27.10.2020 एवं 28.10.2020** को कार्यालय समय (प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक) पर कर सकते हैं। नीलामी की सूचना जनपद न्यायालय बांदा की वेबसाइट (<https://districts.ecourts.gov.in/banda>) तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट (<https://www.allahbadhighcourt.in>) पर देखी जा सकती है।

सूचना सूचनापटल में चस्पा की जाये एवं परिचालित की जाये।

संलग्नक: यथोक्त

(अध्यक्ष)
निस्तारण समिति /
अपर जिला जज
बांदा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, बांदा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
2. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बांदा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बांदा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. अधिशाषी अधिकारी, जिला पंचायत, बांदा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, बांदा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी, बांदा को शासनादेश सं० 562/29-2007-1007-74 (टी०सी०) दिनांक 04.07.2007 के अनुक्रम मे समाचार पत्रों मे प्रकाशन हेतु।
7. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने एवं रक्षक पत्रावली मे अनुरक्षण हेतु।
8. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स जनपद न्यायालय बांदा की वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(अध्यक्ष)
निस्तारण समिति /
अपर जिला जज
बांदा।

जिला एवं सत्र न्यायालय, बांदा।

दिनांक 19.10.2020

जनपद न्यायालय बांदा की निस्तारण समिति द्वारा शासनादेश सं० 1393/78-2-2011-26 आई०टी०/ 2004 दिनांक 20.09.2011 के अनुसार 6 वर्ष से अधिक पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर व उनके सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने व उनकी नीलामी हेतु की गयी संस्तुति के अनुक्रम मे संलग्न निम्नवत है -

| क्रम संख्या | निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर सामग्री | निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर सामग्री की संख्या |
|-------------|-----------------------------------|--|
| 1 | एच०सी०एल० सी०पी०यू० मानीटर सहित | 26 अदद |
| 2 | एच०पी०लेजर प्रिन्टर 1008, | 25 अदद, |
| 3 | थिन क्लाइन्स मानीटर सहित, | 46 अदद, |
| 4 | टी०वी०एस० डाट मैट्रिक्स प्रिन्टर, | 16 अदद, |
| 5 | कार्टिज 88 ए, | 179 अदद, |
| 6 | विन बी थिन क्लाइन्स बिना मानीटर, | 08 अदद |
| 7 | सी०पी०यू० बिना मानीटर, | 03 अदद, |


(अध्यक्ष)

निस्तारण समिति /
अपर जिला जज
बांदा।